

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-299/08
संस्थापित दिनांक-28.06.08

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
1- रामलाल पुत्र प्यारा, आयु-43 वर्ष। निवासी- ग्राम खिरका 2- पवन पुत्र पहली राम, उम्र 38 साल निवासी- शांति नगर थूबोन जिला - अशोकनगर। 3- प्रकाश पुत्र प्यारा, आयु 38 वर्ष, निवासी- ग्राम खिरकाआरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

:-: निर्णय :-:

(आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323/34, 324/34, भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 16.03.08 को करीब 07:30 बजे शाम को ग्राम खिरका में फरियादी प्रकाश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया, उसके अग्रसरण में फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी प्रकाश की धारदार अस्त्र दांतों से मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में प्रकाश की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी प्रकाश पुत्र दुर्जन हरिजन ने चौकी थूबोन पर प्रकाश, रामलाल, पवन हरिजन निवासीगण खिरका के खिलाफ मारपीट तथा दांत से काटने बाबत रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि शाम साढ़े 7 बजे जब फरियादी प्रकाश टैक्टर चलाकर घर पहुंचा तो आरोपी प्रकाश शराब पीकर गालियां देने लगा और गालियां देने से मना करने पर रामलाल, प्रकाश, पवन तीनों चैंट गये तथा मुक्कों से मारपीट की एवं आरोपी प्रकाश ने फरियादी के बांये हाथ में काट खाया तथा रामलाल ने सिर में लाठी मारी बांयी तरफ लगी, चोट आयी। मौके पर करतार ने घटना देखी है। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का

नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.03.08 को करीब 07:30 बजे शाम को ग्राम खिरका में फरियादी प्रकाश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2. क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक, समय, स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी प्रकाश को धारदार अस्त्र दांतों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— विचारणीय प्रश्न क्र० 1, 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी प्रकाश अ०सा००६ ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है जो उसके गाँव के रहने वाले है। घटना करीब 8 साल पहले की है। आरोपीगण से उसकी कहा सुनी एवं बातचीत हो गई थी, इसके अलावा आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। जिसके संबंध में फरियादी प्रकाश ने चौकी थूबोन में रिपोर्ट लेख कराई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और पूछताछ कर बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पूछे जाने पर फरियादी प्रकाश अ०सा०१ ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी प्रकाश शराब पीकर गालियां देने लगा। इस बात से भी इंकार किया कि गालियां देने से इंकार किया तो कैलाश की दुकान के सामने रामलाल, प्रकाश, पवन तीनों चैंट गये और मुक्कों से मारपीट की। अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया कि आरोपी प्रकाश ने उसके बांये हाथ में काट खाया था तथा सिर में रामलाल ने लाठी मार दी थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.डी.

1 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट व कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण द्वारा उसके साथ न तो मारपीट की गई और न ही गालियां दी गई थी और न ही प्रकाश ने उसके बाएं हाथ में काटा था तथा इस बात को स्वीकार किया कि उसे जो चोटे आई थी वह स्वतः गिर जाने से आई थी आरोपीगण द्वारा कारित नहीं की गई थी।

08— अभियोजन साक्षी मन्नू अ0सा02 एवं करतार अ0सा03 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है एवं घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं फरियादी/आहत ने घटना का समर्थन नहीं किया है कि घटना के समय आरोपीगण द्वारा उसे गालियां दी गई थी एवं मारपीट की गई थी एवं इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी प्रकाश ने उसके बाएं हाथ में काट खाया था। इस प्रकार प्रकरण में कथित घटना को लेकर प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा02, रामदास अ0सा04, जगदीश सिंह धाकड अ0सा05 की साक्ष्य जो प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में इन साक्षियों के कथनों से कथित घटना की पुष्टि नहीं होती है।

09— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.03.08 को करीब 07:30 बजे शाम को ग्राम खिरका में फरियादी प्रकाश की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी प्रकाश को धारदार अस्त्र दांतों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। परिणाम स्वरूप आरोपीगण के विरुद्ध धारा 323/34, 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

12— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया।

